न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 22/2023 बउनवानी मुकेश कुमार सैन बनाम लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर स0मा0
वार्ड नम्बर 7, मुनिम मोहल्ला कोटपाडा बौली, तहसील बौंली
GCMS No-2023/42

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
30.6.2023	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 21.10.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः— 1. दिनांक 23.9.1993 अथवा उस माह की तारीख मे किसी के द्वारा क्रय विक्रय की गयी कृषि भूमि की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने का श्रम करावे। 2. वर्तमान समय मे किसी व्यक्ति के द्वारा क्रय विक्रय की गयी कृषि भूमि की प्रतिलिपि प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी एवं अति0 जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक एफ..2(264)सूकाअ/2023/1997 दिनांक 29.3.2023 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 21.10.2022 के बिन्दु संख्या 1 व 2 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक होने तथा चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण दिनांक इत्यादि अंकित नही होने के कारण चाही गयी सूचना अपीलान्ट को दिया जाना आवश्यक नही है। इसलिए अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया। पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 21.10.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने एवं चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना सम्भव नही है एवं ऐसी अपूर्ण विवरण वाली सूचनाऐ किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध करवाये जाने के लिए लोक सूचना अधिकारी बाध्य भी नही है। यहॉ यह भी उल्लेखीनय है कि प्रशासनिक सुधार विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/ 2009पार्ट/दिनांक 12[illegible]3 के अनुसार उक्त बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना पर सूचना का अधिकार अधिनियम लागू नही होता है इसलिए अपीलान्ट उक्त सूचना पंजीयन अधिनियम के तहत निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली पर्चा शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनाई गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Suresh Kumar Ola Date: 2023.12.19 11:37:31 IST Reason: SelfAttested (सुरेश कुमार ओला) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर